निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 549) पटना, बुधवार, 27 मई 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

27 मई 2026

एस0ओ0 112, दिनांक 27 मई 2026––भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम-49) की धारा-3 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से विधि विभागीय अधिसूचना सं0-3669 दिनांक-03.06.2011 एवं अधिसूचना सं0-9512 दिनांक-14.12.2023 द्वारा गठित विशेष न्यायाधीश-III के अनन्य विशेष न्यायालय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी0बी0आई0) द्वारा अनुसंधानित चारा घोटाले से संबंधित मामलों के त्वरित विचारण हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

2. विशेष न्यायाधीश-III के न्यायालय अन्य मामलों की तुलना में चारा घोटाला से संबंधित मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देंगे।

3. विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना की पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0-3669, दिनांक-03.06.2011, अधिसूचना सं0-7176 दिनांक-29.08.2018 एवं अधिसूचना सं0-9512 दिनांक-14.12.2023 इस हद तक संशोधित की जाती है।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-7/2009/4195/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम दूबे,

सरकार के सचिव, बिहार ।

27 मई 2026

एस0ओ0 112, दिनांक 27 मई 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0–ए0/एक्ट–7/2009/4195/जे0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव, बिहार ।

The 27th May 2026

S.O. 112 dated 27th May 2026—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act 49 of 1988), the Government of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, designate the Exclusive Special Court of Special Judge-III, constituted vide notification no.-3669 dated-03.06.2011 and Notification No.-9512 dated-14.12.2023 of the Law Department, Government of Bihar, Patna, as Special Court for speedy trial of fodders scam cases investigated by the Central Bureau of Investigation (C.B.I.) under the Prevention of Corruption Act, 1988.

2. The Court of Special Judge-III shall give priority to the hearing of the cases pertaining to Fodder Scam over other cases.

3. The earlier issued Notification No.-3669 dated 03.06.2011, Notification No.-7176 dated- 29.08.2018 and Notification No.-9512 dated-14.12.2023 of the Law Department, Government of Bihar, Patna is amended to this extent.

(File No.-A/Act -7/2009/4195/J.)
By Order of the Governor of Bihar,
Balram Dubey,
Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 549–571+100–डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in